(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 07/2024-एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 08 अक्टूबर, 2024

सा.का.िव. (अ)- केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप धारा (5), धारा 16 की उप धारा (1) और धारा 148 के साथ पठित एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप धारा (1), (3) और उप धारा (4), धारा 6 की उप धारा (1) और धारा 20 के उपवाक्य (iii), (iv) और (xxv) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनिहत में आवश्यक है, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 08/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.िन. 683 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

- 1. उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 8 के समक्ष,-
 - (i) मद (ivक) और कॉलम (3), (4) तथा (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित मद और कॉलम (3), (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियां को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

(3)	(4)	(5)
"(ivख) हेलीकाप्टर द्वारा सीट शेयरिंग के	5	बशर्ते सेवा की पूर्ति करने में प्रयुक्त माल
आधार पर सामान के साथ या उसके बिना		पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं
यात्रियों का परिवहन ।		लिया गया है ।
		[कृपया स्पष्टीकरण पैरा 5 की संख्या (iv)
		का संदर्भ लें/देखें]।"

- (ii) कॉलम (3) में, मद (vii) में, कोष्ठक और अंक "(ivक)," के पश्चात कोष्ठक और अंक "(ivख)," अंत:स्थापित किया जाएगा ।
- 2. यह अधिसूचना दिनांक 10 अक्टूबर, 2024 से लागू होगी ।

[फाइल संख्या 190354/149/2024-टीओ (टीआरयू-।।) पार्ट-। सीबीईसी]

(दिलमिल सिंह सोच) अवर सचिव, भारत सरकार

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 08/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.िन. 683 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 15/2023-एकीकृत कर (दर), दिनांक 19 अक्तूबर, 2023, सा.का.िन. 760 (अ), दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के तहत सरकारी राजपत्र में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।